

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, करौली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प शुद्ध प्रविष्टि

करौली

**:- आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करौली व नूबनि रीखोरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार रीखोरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम रीखोरी तहसील करौली व जिला करौली की जनबंदी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 168 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रीखोरी	168	राम निकास, श्रीरवा, लखन, पहला उम्मेदी सि० महीफालउर्फ हिरा लाल सा.देह शेष करौली	राम निकास, श्रीरवा, लखन, पहला उम्मेदी सि० महीफाल उर्फ हिरा लाल (जाति मीन) सा.देह शेष करौली

प्राप्त  
20/11/19

(करौली)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, करौली  
दिनांक:-

क्रमांक:-  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री राम निकास श्रीरवा को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

(करौली)  
पीठासीन अधिकारी